

अनुमति-पत्र

સં. 423 / નં ૦ અ ૦ વિ ૦

दिनांक 13/04/2018

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

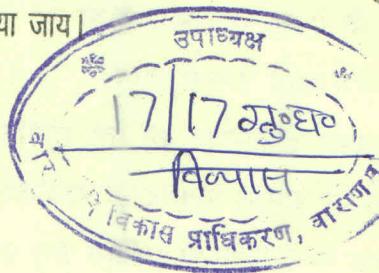
यह अनुमति केवल उ० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिए कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/श्री रुनीनाप डब्लिंग्टन एलएलपी, आशुतोष
श्रीमती सुषमा जगदल व श्रीमती जामा बुद्धा वजरीय डेजिंग नेट्स प्राइवेट

पिता/पति का नाम श्री..... आराजी संख्या..... मौजा.....
 वार्ड..... में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष के चिन्हित भवन
 चित्र अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

मुहर

दिनांक.....20



जो नल अधिकारी
वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी

नोट : 1- यह स्वाकृति पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए है। यदि इमारत आज्ञानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2- इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, झाँप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3- मकान निर्माण से यदि नाली, सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर..... दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

4- गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिए। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

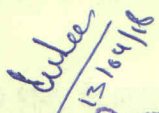
5- प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायगा कि मकान पूर्ण हो गया।

6- यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

7- यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंश कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

शर्त:-

1. भूखण्ड पर प्रति हेक्टेयर 50 पेड़ की दर से 51 पेड़ लगाना आवश्यक होगा।
2. कूड़ा संचयन का पर्याप्त व सुविधाजनक व्यवस्था सुनिश्चित कराना होगा।
3. पक्ष को रेन वाटर हारवेस्टिंग एवं सोलर वाटर हीटर संयंत्र का प्राविधान मानक के अनुसार स्थल पर कराना होगा। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. स्थल पर सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण होने पर पक्ष/आवेदक को पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कराना होगा। बिना पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये भवन अथवा भवन के किसी अंश भाग का उपयोग/उपभोग कदापि नहीं किया जायेगा।
5. भू-स्वामित्व एवं रास्ते सम्बन्धित किसी प्रकार का विवाद होने की दशा में एवं अन्य कोई तथ्य उजागर होने की दशा में स्वीकृत मानचित्र स्वतः अस्वीकार माना जायेगा और ऐसी दशा में इसकी समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी।
6. भविष्य में विभाग द्वारा कोई भी देयता निकलती है तो पक्ष द्वारा देय होगा।
7. प्रस्तावना के अनुरूप ही निर्माण कार्य कराना होगा।
8. पक्ष एवं आर्किटेक्ट व स्ट्रक्चरल इंजीनियर को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्माण भूकम्परोधी ही होगा। अप्रिय घटना होने पर समस्त जिम्मेदारी आर्किटेक्ट व स्ट्रक्चरल इंजीनियर की होगी।
9. कुल पार्किंग का 10 प्रतिशत भाग विजिटर पार्किंग हेतु आरक्षित किया जायेगा; जिसमें प्रवेश एवं निकास की उचित व्यवस्था की जायेगी।
10. निर्माणकर्ता द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड परिसर के भीतर ही रखी जायेगी तथा किसी प्रकार से सड़क यातायात अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।
11. स्वीकृत मानचित्र की छायाप्रति पक्ष को निर्माणाधीन स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर किसी भी जाँच कर स्थलीय निर्माण का मिलान स्वीकृत मानचित्र से किया जा सके।
12. पक्ष को शपथ पत्र के अनुसार अनुपालन करना होगा।
13. आन्तरिक विकास कार्य पक्षगण को स्वयं कराना होगा, जिसके सम्बन्ध में पक्षगण को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. अग्निशमन विभाग की अनापत्ति में वर्णित शर्तों का पालन निर्देशानुसार स्थल पर पक्ष/मानचित्र प्रस्तावक को अनिवार्य रूप से कराना होगा।
15. निर्माण के दौरान बेसमेन्ट खुदाई हेतु सुरक्षा के सभी उपाय किये जायेंगे तथा स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पर्यवेक्षण में कराया जायेगा।


जौनल अधिकारी
वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी